वैशाली जिले में भूमि उपयोग का वर्त्तमान प्रतिरूप

अजित कुमार

शोध छात्र

विश्वविद्यालय भूगोल विभाग,

बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

सार–संक्षेप :

प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एक अमूल्य संसाधन है। कृषि प्रधान देशों एवं प्रदेशों में इसका बहुत अधिक महत्व है। भूमि का सही उपयोग करने से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि बाढ़, सूखा तथा बंजर भूमि की समस्याएँ भी कम की जा सकती है। अतः भूमि का समुचित उपयोग आवश्यक है। वास्तव में भूमि का सही उपयोग समृद्धि का प्रतीक है।[1] इस अध्ययन में वैशाली जिले के भूमि उपयोग प्रतिरूप का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्ष 2011–12 के द्वितीय आँकड़ों पर आधारित है।

कुंजी : भूमि, संसाधन, कृषि, जनसंख्या, भूमि उपयोग

प्रस्तावना :–

निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण–पोषण के लिए भूमि उपयोग अध्ययन का विशेष महत्व है। भूमि के दुरूपयोग को रोकने के लिए भूमि उपयोग अति आवश्यक है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध भूमि संसाधन का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक है। वुड (1972) ने भी स्पष्ट किया है कि भूमि उपयोग केवल प्राकृतिक भू–दृश्य या वनस्पति आच्छादित भू–दृश्य के सन्दर्भ में ही नहीं बल्कि मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न उपयोगी सुधारों के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्रीय आधार पर भूमि उपयोग संसाधन के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया विभिन्न प्रभावी कारकों में क्षेत्रीय विविधता होने के कारण भिन्न–भिन्न प्रकार की होती है। भूमि उपयोग एक क्रियाशील अवधारणा है, जो क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के अनुरूप संपन्न होती है। अतः ऐसी भूमि उपयोग के लिए भूमि संसाधन उपयोग शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। बारलोब (1954) के अनुसार भूमि संसाधन उपयोग, भूमि समस्या एवं योजना सम्बन्धी विवेचना की धुरी है। आर्थिक दृष्टि से भूमि उपयोग का प्राथमिक सम्बन्ध उस परिस्थिति, अवस्था, प्रतिस्पर्धा, परिवर्तन एवं सामंजस्य से है, जिनका प्रादुर्भाव भूमि संसाधनों के उपयोग से होता है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों में उन समस्त प्राकृतिक कारको को समाहित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं, जैसे – जलवायु, धरातल, मिट्टी, सूर्यताप, जलप्रवाह आदि। मानवीय कारकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं औद्योगिक आदि हर प्रकार के वे समस्त कारक सम्मिलित किये जाते हैं जो मानव द्वारा निर्मित हूँ। ये सभी कारक भूमि उपयोग की सीमाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा अध्ययन क्षेत्र में भूमि को प्रभावित करने वाले कारकों परिवर्तित होती हुई तकनीकी, बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, बढ़ती हुई आवश्यकताएँ, विभिन्न प्रकार की फसलें एवं बदलते सामाजिक मूल्य आदि मुख्य है, जो समयानुसार अपना प्रभाव डालते हैं।

उद्देश्य :– प्रस्तुत शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य निम्न है –

– अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग के वर्त्तमान प्रतिरूप का अध्ययन करना।

– भूमि उपयोग के विभिन्न संवर्गों का अध्ययन करना।

आँकड़ा स्रोत एवं विधि तंत्र

प्रस्तुत शोध–पत्र में वर्ष 2011–12 के भूमि उपयोग प्रतिरूप का विवेचन द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है। भूमि उपयोग प्रतिरूप का अंचलवार विश्लेषण करने हेतु आँकड़ों का संचयन जिला सांख्यिकी कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर) से लिया गया है। इसमें प्रतिवेदित क्षेत्र को भूमि उपयोगिता के आधार पर निम्न 9 वर्गों में रखा गया है, किन्तु भूमि उपयोग के वर्गो को उपयोग की समरूपता एवं भूमि उपयोग के कुछ वर्गो में अव्यल्प अथवा नगण्य भूमि को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग क्षेत्र को 7 संवर्गों में रखकर विवेचना की गई है।

अध्ययन क्षेत्र –

वैशाली जिला गंगा–गंडक मैदानान्तर्गत तिरहुत प्रमण्डल का एक जिला है। इसका भौगोलिक विस्तार 25^0 29′ उत्तरी अक्षांश से 26^0 5′ उत्तरी अक्षांश तक तथा 84^0 5′ पूर्वी देशान्तर से 84^0 41′ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण लगभग 76 कि०मी० लम्बाई एवं पूर्व से पश्चिम लगभग 71 कि०मी० चौड़ाई में विस्तृत है। भौगोलिक क्षेत्रफल 2036 वर्ग कि०मी० है। जिले का उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर, दक्षिण सीमा गंगा नदी, पूर्वी सीमा समस्तीपुर तथा पश्चिमी सीमा गंडक नदी है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से वैशाली जिले में 3 अनुमंडल, 16 प्रखण्ड, 291 पंचायत, 1638 गाँव तथा 22 थाना है। वैशाली जिले में 2011 जनगणना के अनुसार 3,495,021 जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। क्षेत्र की कुल साक्षरता दर 66.60 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 75. 41 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 56.73 प्रतिशत है।

भूमि उपयोग का वर्तमान प्रतिरूप :–

2011–12 भूमि उपयोग के वर्त्तमान प्रतिरूप का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 496934.39 एकड़ भूमि पायी जाती है, जिसमें वन भूमि 1090.1 एकड़ (0.22 प्रतिशत), गैर कृषि कार्यो में लगी भूमि 91625.45 एकड़ (5.217) स्थायी चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि 2680.03 एकड़ (0.53 प्रतिशत) विविध पेड़ एवं बगीचा 34761.11 एकड़ (6.99 प्रतिशत) कृषि योग्य बंजर भूमि 867.77 (0.18 प्रतिशत) चालू परती भूमि 18439.94 एकड़ (3.72 प्रतिशत) अन्य परती भूमि 5353.90 (1.08 प्रतिशत) शुद्ध बोया गया क्षेत्र 316233.72 (63.64 प्रतिशत) पायी गयी है।

01. कृषिगत भूमि :–

भूमि उपयोग के भौगोलिक अध्ययन में कृषिगत भूमि का अध्ययन अद्वितीय स्थान रखता है, क्योंकि किसी भी कृषि प्रधान क्षेत्र में कृषि सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के क्रिया–कलापों का निष्पादन इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है और इस प्रकार क्षेत्र इनसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। वैशाली जिला में इस समय 316237.72 एकड़ (63. 64 प्रतिशत) भूमि पर कृषि कार्य हो रही है।

कुल भूमि में शुद्ध बोया गया क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से प्रखण्डों में काफी भिन्नता पाया जाता है। पातेपुर प्रखण्ड में सबसे अधिक भूमि पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। 40115.13 एकड़ पर सबसे कम महनार में 9711.59 एकड़ भूमि पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। एक से अधिक बार उन्हीं भूमि से फसल ली जाती है जहाँ सिंचाई का साधन उपलब्ध होते हैं तथा जलजमाव नहीं रहता है। वर्त्तमान समय में 155675.84 एकड़ भूमि यह खेती हो रही है।

02. वन भूमि :– वन भूदृश्य का महत्वपूर्ण जीवीय संसाधन है, जिसकी संसाधनता मानव की आवश्यकताओं व योग्यताओं में निहित है। सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से वनों का सर्वाधिक महत्व है। वर्त्तमान समय में वनों के अन्तर्गत वैशाली जिले में मात्र एक प्रखण्ड में है जो जन्दाहा प्रखण्ड में 1090.01 एकड़ वन के अन्तर्गत आता है। जो वैशाली जिला की कुल भूमि का केवल 0.21 प्रतिशत है। भारतीय वन–नीति के अनुसार पर्यावरण संतुलन के लिए 33 प्रतिशत क्षेत्रों में वनों का होना आवश्यक माना जाता है, वनों का अनुपात पर्वतीय व अन्य क्षरणोन्मुख क्षेत्रों हेतु 60 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। निःसंदेह वैशाली जिले में वनों के अन्तर्गत भूमि बढ़ाना आवश्यक हैं। मानव की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त मृदा अपरदन, वातावरण सन्तुलन, पारिस्थैतिकी सन्तुलन, वातावरण परिष्कार हेतु वनस्पतियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, परन्तु जनसंख्या वृद्धि के साथ वनों, उद्यानों तथा अन्य स्थलों पर उगे वृक्षों की निर्ममतापूर्वक अन्धाधुन्ध कटाई हुई है।

03. कृषि बेकार भूमि :– कृषि बेकार भूमि से आशय है, जब कोई भूमि बिना किसी अन्य उपयोग में पाँच वर्ष से अधिक समय से खेती में प्रयुक्त नहीं की जाती है, तो ऐसे भूमि को छठे वर्ष कृषि बेकार भूमि में दर्ज कर लिया जाता है। किसान की अक्षमता एवं विवशता, सिंचाई के साधनों का अभाव, नदियों के मार्ग परिवर्तन से रेत की मोटी परत बिछ जाने आदि के कारणों से बेकार भूमि इस श्रेणी में आती है। इस भूमि के अन्तर्गत 22679. 30 एकड़ भूमि है। राघोपुर में सर्वाधिक कृषि बेकार भूमि 4405.65 एकड़ पर है वहीं पातेपुर 3687.45 एकड़ पर वही सबसे कम भगवानपुर व पटेढ़ी बेलसर में है। अति सघन जनसंख्या ही उर्वर मृदा एवं समतल मैदानी भाग प्रचुर जल की उपलब्धता आदि कृष्ज्ञि अनुकूल दशाओं के कारण कृष्य बेकार भूमि का कम होना स्वाभाविक है।

04. परती भूमि :– परती भूमि उस भूमि को कहते हैं जिस पर पहले खेती की जाती थी लेकिन अब खेती नहीं की जाती है। भूमि पर यदि लगातार खेती की जाए तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, इसलिए भूमि को कुछ समय तक खाली छोड़ दी जाती है ताकि उस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ सके व नमी ग्रहण कर सके। परती भूमि के अन्तर्गत चालू परती भूमि एवं अन्य परती भूमि को सम्मिलित किया जाता है। परती भूमि के अन्तर्गत 23793.84 एकड़ भूमि आती है। सबसे अधिक चालू परती भूमि राघोपुर में 4030.66 एकड़ पर वही दूसरा

स्थान पर महुआ 2374.53 एकड़ पर है वही सबसे कम चेहराकला में है। चालू परती भूमि के अन्तर्गत वैसी भूमि आती है जो सर्वेक्षण के समय कृषि के अन्तर्गत नहीं रही हो, किन्तु पिछले वर्षो में खेती हुई हो ऐसी भूमि को विभिन्न कारणों से परती छोड़ दी जाती है। अन्य परती भूमि के अन्तर्गत दो से पाँच वर्ष तक की परती भूमि को संलग्न की जाती है। इस भूमि को एक से अधिक और पाँच साल से कम वर्षो तक विभिन्न कारणों से परती छोड़ दी जाती है। वैशाली जिले में अन्य परती भूमि 5353.90 एकड़ पर है वही सबसे अधिक राघोपुर प्रखण्ड में 2004.23 एकड़ भूमि पर है वही सबसे कम हाजीपुर प्रखण्ड में 415.90 एकड़ भूमि पर है।

05. ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि – इस प्रकार की भूमि के अन्तर्गत वे सभी भूमि आती है, जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से कृषि के लिए अनुपजाउ, बेकार तथा अनुपयोगी है, इस प्रकार के भूमि के अन्तर्गत बलुई बंजर भूमि या विषम धरातलीय पथरीली भूमि आती है। अम्लीय व झारीय मिट्टी भी इसके अन्तर्गत आती है जिसे आसानी से कृषि के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है। इनमें पौधों का विकास संभव नहीं है इसके कारण ये न तो कृषि के लिए उपयुक्त है और न चारा के लिए। इस भूमि के अन्तर्गत 25882.46 एकड़ भूमि आता है। इसके अन्तर्गत सर्वाधिक भूमि राघोपुर प्रखण्ड में है जो 8091.71 एकड़ है सबसे कम पटेढ़ी बेलसर 13.30 एकड़ व भगवानपुर प्रखण्ड 13.30 एकड़ भूमि आता है वही गोरौल, चेहराकला, लालगंज, महनार प्रखण्ड में यह भूमि नगण्य है।

06. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि :–

गैर कृषि कार्यो में लगी भूमि के अन्तर्गत बस्तियाँ, नगर, नदी, तालाब, सड़क, नहर, रेलमार्ग, मंदिर, मस्जिद, औद्योगिक प्रतिष्ठान इत्यादि आते हैं। वैशाली जिला में इस भूमि–उपयोग के अन्तर्गत 18.43 प्रतिशत भूमि लगी है। इस प्रकार यह भूमि उपयोग कृषि क्षेत्र के बाद प्रांत का दूसरा महत्वपूर्ण भूमि–उपयोग है। जनसंख्या के वृद्धि के साथ अधिवास, सड़क, रेलमार्ग इत्यादि का विकास आवश्यक है। इसका क्षेत्रफल जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2000–2001 में इसका क्षेत्रफल 78321.12 एकड़ था जो जिले के कुल उपलब्ध भूमि उपयोग का 15.73 प्रतिशत था वही 2011–12 में इसका क्षेत्रफल 91625.45 एकड़ हो गया जो जिले के कुल उपलब्ध भूमि उपयोग का 18.43 प्रतिशत है।

07. चारागाह एवं उद्यान्न :–

चारागाह भूमि के अन्तर्गत उस भूमि को शामिल किया जाता है जिसमें सालोभर गाय, भैंस, बकड़ियाँ, भेड़ आदि पशु अपना भोजन प्राप्त करता है। पहले बहुत बड़े भाग में पशुओं को चराने के लिए स्थायी चारागाह छोड़ा जाता था, किन्तु जनसंख्या कि वृद्धि और अधिक कृषि–भूमि की आवश्यकता के कारण चारागाह को समाप्त करके उसमें खेती की जाने लगी। पशुओं को चराने का काम अब मौसमी चारागाह भूमि पर होता है या नदी, नहर के बांध पर चारागाह का कार्य किया जाता है। वैशाली जिले में 2680.03 एकड़ भूमि में स्थायी चारागाह है। इसका विस्तार मात्र पाँच प्रखण्डों में ही है यह है – जन्दाहा, पातेपुर, लालगंज, विद्दुपुर, राघोपुर प्रखण्ड में ही है। सबसे अधिक राघोपुर प्रखण्ड 2241.45 एकड़ में है। महुआ, गोरौल, चेहराकला, राजापाकर, हाजीपुर, वैशाली, पटेढ़ी बेलसर, भगवानपुर, महनार, सहदेई प्रखण्ड में स्थायी चारागाह नहीं है। उद्यान्न के अन्तर्गत वैशाली जिला में इसका क्षेत्रफल धीरे–धीरे बढ़ रहा है। 2000 में इसका क्षेत्रफल 23569.10 एकड़ भूमि थी वहीं

वर्ष 2011.12 में 34761.11 एकड़ हो गया है। इसका सबसे अधिक विस्तार पातेपुर प्रखण्ड में 6016.46 एकड़ भूमि पर है वही सबसे कम पटेढ़ी बेलसर में 436.70 एकड़ भूमि पर है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :–

प्रस्तुत शोध पत्र वैशाली जिले का वर्ष 2011–12 के भूमि उपयोग प्रतिरूप का अध्ययन किया गया है। क्षेत्र के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के अन्तर्गत 496934.39 एकड़ भूमि पायी गयी है, जिसमें कृषिगत भूमि (63.64 प्रतिशत), वन भूमि (0.22 प्रतिशत), चालू परती भूमि (3.72 प्रतिशत), गैर कृषि कार्य में लगी भूमि (18.43 प्रतिशत), स्थायी चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि (0.53 प्रतिशत) पायी गयी।

क्षेत्र में भूमि उपयोग प्रतिरूप का विस्तृत अध्ययन करने पर यह पाया गया कि उच्चतम कृषि योग्य भूमि पातेपुर प्रखण्ड में 40115.13 एकड़ पर है, क्षेत्र में कृषि बेकार भूमि की अल्पत्ता का कारण अत्यधिक विकसित कृषि, उर्वर मृदा एवं समतल मैदान, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था एवं यहाँ के निवासियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ है। वन के अन्तर्गत वैशाली जिले में मात्र एक प्रखण्ड जन्दाहा में है यह एक सोचनीय विषय है यहाँ वन भूमि बढ़ाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि के अन्तर्गत बहुत कम भूमि पाया गया है, जिसका प्रमुख कारण शुद्ध कृषित भूमि में वृद्धि है, सम्पूर्ण क्षेत्रफल के मात्र 0.53 प्रतिशत भाग पर चारागाह एवं उद्यान के अन्तर्गत भूमि पाया गया है। अतः कृषि कार्य में अधिक भूमि के उपयोग में आने के कारण चारागाह एवं उद्यान्नों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत कम क्षेत्र रह गये हैं।

अतः क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूमि उपयोग वर्गों में एकरूपता नहीं है। भौतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के फलस्वरूप भूमि उपयोग समयानुकुल परिवर्तित होता रहता है। वैशाली जिले का अधिकांश भाग समतल उपजाऊ भूमि से बना है जो कृषि के लिए उत्तम दशाएं उत्पन्न करता है। वर्त्तमान के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या वृद्धि और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि उपयोग का समन्वित तकनीकी विकास करके आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

सन्दर्भ सूची :–

[1] अताउल्लाह मो० 'बिहार का आधुनिक भूगोल', (2008), विलिएन्ट प्रकाशन, पटना, पृ० 58, 61

[2] कौशिक, एस० डी० एवं गौतम अलका (2003) संसाधन भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ, पृ० 603 से 610

[3] मामोरिया चतुर्भुज एवं मिश्रा जे० पी० (2004) भारत का वृहत भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ० 707

[4] कुमार अरविन्द (2004) : ''गोरखपुर मण्डल में भूमि उपयोग क्षमता का गत्यात्मक विश्लेषण''उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक–34, संख्या–2, पृ० 20–25